दिनांक 04.04.2024
प्रेस विज्ञप्ति 04/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस मुख्यालय में साइबर अपराधों एवं साइबर सुरक्षा विषयक प्रस्तुतिकरण/बैठक का किया गया आयोजन

आज दिनॉकः 04.04.2024 को मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में साइबर अपराधों व साइबर सुरक्षा (Stakeholders dialogue on Cyber Crime and Cyber Security in Uttar Pradesh : Emerging Challenges and strategy for future) विषय पर पुलिस मुख्यालय (सिग्नेचर बिल्डिंग) स्थित ऑडिटोरियम में प्रस्तुतीकरण/बैठक का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर **श्री दुर्गाशंकर मिश्र, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन** द्वारा अपने उद्बोधन में कहा गया कि कंप्यूटर इंटरनेट और स्मार्टफोन का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है। इंटरनेट के माध्यम से तमाम सारी पब्लिक सर्विसेज ऑनलाइन उपलब्ध हैं। ऐसे में साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम विषय बहुत महत्वपूर्ण है। पुलिस, ऊर्जा, मेट्रो, स्वास्थ्य और कृषि आदि सेक्टर में इंटरनेट के माध्यम से तमाम सारी सुविधायें आम नागरिकों को ऑनलाइन उपलब्ध करायी जा रही हैं। साइबर सिक्योरिटी के माध्यम से ऐसी व्यवस्था करनी होगी, जिससे बाहरी व्यक्ति इस नेटवर्क या सिस्टम को ध्वस्त या प्रभावित न कर सके। दुनिया में सर्वाधिक डिजिटल ट्रांजक्शन भारत में हो रहा है। लोगों की मदद के लिए प्रदेश में साइबर थाने बनाये गये हैं। अपराध के पैटर्न में परिवर्तन आया है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि लोगों की साइबर सुरक्षा पर ध्यान दें। आम नागरिकों को साइबर फ्रॉड का शिकार होने से बचाने के लिए जागरूक करें। साइबर अपराध होने पर तत्परता से कार्यवाही करे, जिससे साइबर अपराध के मामलों में कमी आयेगी। दिन–प्रतिदिन नई आपराधिक चुनौतियों को हल करने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी को अपनाना होगा। अपराध पैटर्न की बेहतर पहचान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि का उपयोग करना और दूसरा तेजी से बदलते अपराध पैटर्न और उनके

तौर–तरीके को समझना और कड़ी कार्यवाही करना होगा। आज उत्तर प्रदेश के 75 कमिश्नरेट/जनपदों में साइबर थानों का गठन हो चुका है, किन्तु हमें साइबर सिक्योरिटी हेतु बहुत प्रभावी रूप से कार्य किये जाने की आवश्यकता है।

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा अपने उद्बोधन में कहा गया कि साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी ये दोनो ही बहुत प्रासंगिक विषय है, साइबर क्राइम के बारे में आप सबको पता है कि इसकी कोई बाउण्ड्री नही होती। अमूमन जो क्राइम हम लोग आज तक देखते हुए आ रहे है उसमें एक सीमा होती है, लेकिन साइबर क्राइम वर्ड वाइज वेब से कन्ट्रोल होता है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती है, ऐसी स्थिति में क्राइम करने वाले/सस्पेक्ट के डिस्टेन्स के बारे में आइडिया लगा पाना, जब तक कि पूरा ज्ञान न हो सम्भव नही है। साइबर क्राइम से बचने के बारे में जो भी सुधार करें या स्वयं की जागरूकता बढ़ाये ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। शासन द्वारा साइबर क्राइम से निपटने के लिए बहुत सारे प्रयास किये जा रहे है, जैसा कि आप लोगो को पता है वर्ष 2017 के बाद से रेंज स्तर पर साइबर थाने बनाये गये तथा वर्तमान में प्रत्येक जनपद में एक साइबर थाने की स्थापना की गयी एवं प्रत्येक थानों में एक साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। साइबर क्राइम से निपटने के लिये पूरी दुनिया द्वारा सुधार हेतु जो कार्य किये जा रहे है उस प्रतिस्पर्धा में उत्तर प्रदेश पुलिस अधिक तेजी से सिस्टम में सुधार कर रही है।

कार्यशाला के दौरान श्री अभिषेक सिंह अपर सचिव IT,MIETY, GOI, श्रीमती रूपा डायरेक्टर I4C, GOI, श्री पवन कुमार पुलिस उपमहानिरीक्षक साइबर क्राइम उ0प्र0, श्री सुबोध कुमार CEO Cert In, GoI, श्री बालू केन्चप्पा R.D.RBI, Kanpur, श्री जी0के0 गोस्वामी अपर पुलिस महानिदेशक फॉरेन्सिक, श्रीमती नेहा जैन Spl Secy, IT & Electr.UP, प्रस्तुतिकरण/व्याख्यान दिया गया। कार्यक्रम के अन्त में श्री योगेश कुमार Spl Secy, Home, .UP द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा मुख्य सचिव उ0प्र0शासन, अपर मुख्य सचिव गृह, उ0प्र0 शासन, अपर सचिव IT,MIETY, GOI, विशेष सचिव IT & Electr.UP व डायरेक्टर I4C, GOI को स्मृति चिन्ह भेट किया गया।

Date : 04.04.2024
अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद प्रेक्षागृह
पुलिस मुख्यालय
लखनऊ

Stakeholders dialogue on Cyber Crime and Cyber Security in
Uttar Pradesh : Emerging Challenges and Strategy for future.
Date : 04.04.2024
अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद प्रेक्षागृह
पुलिस मुख्यालय
लखनऊ

श्री दुर्गा शंकर मिश्रा
की अध्यक्षता में
Stakeholders dialogue on Cyber Crime and Cyber Security in
Uttar Pradesh : Emerging Challenges and Strategy for future.
Date : 04.04.2024
अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद प्रेक्षागृह
पुलिस मुख्यालय
लखनऊ

कमिश्नरेट आगरा/थाना अछनेरा

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 25 हजार रूपये नगद**
- **लूट के सोने के आभूषण**
- **01 मोबाइल फोन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 03.04.2024 को थाना अछनेरा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर तुरकिया नहर रोड़ पर मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त शेरखान उर्फ शेरा उर्फ अंशू घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूट के 25 हजार रूपये नगद, लूट के सोने के आभूषण, 01 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध कमिश्नरेट आगरा जनपद मथुरा के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट आदि के 20 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त कमिश्नरेट आगरा में पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना अछनेरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शेरखान उर्फ शेरा उर्फ अंशू निवासी टांडे का पुरा थाना मनिया जनपद धौलपुर राजस्थान।

बरामदगी

1–लूट के 25 हजार रूपये नगद।

2–लूट के सोने के आभूषण।

3–01 मोबाइल फोन।

4–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

5–01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद गाजीपुर/थाना खानपुर

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **18 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर**
- **07 जीवित कारतूस विभिन्न बोर**
- **भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर) आदि बरामद**

दिनांक 03.04.2024 को थाना खानपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भुजेहुआ जियापुर पुलिया के पास से अभियुक्त रामधारी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के निशादेही से ग्राम मिश्रौली उर्फ चिलबिली से अभियुक्त सरवन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 18 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 07 जीवित कारतूस विभिन्न बोर, भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर) आदि बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना खानपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रामधारी निवासी बसही थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़।

2–सरवन निवासी मिश्रौली उर्फ चिलबिली थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर।

बरामदगी

1–18 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर।

2–07 जीवित कारतूस विभिन्न बोर।

3–भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे।

4–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर) आदि।

जनपद रामपुर/थाना गंज

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त गिरफ्तार**
- **08 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **01 खोखा कारतूस, 08 नाल विभिन्न बोर**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 04.04.2024 को थाना गंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कैमरी जाने वाले रोड आम के बाग खण्डहर से अभियुक्त फिरासत को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 08 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 01 खोखा कारतूस, 08 नाल विभिन्न बोर, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना गंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–फिरासत निवासी तालाब निहालुद्दीन थाना गंज जनपद रामपुर।

बरामदगी

1–08 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2–01 खोखा कारतूस, 08 नाल विभिन्न बोर।

3–अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

- **<u>जनपद मऊ/थाना मोहम्मदाबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को 22–22 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 65–65 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद मऊ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद मऊ द्वारा थाना मोहम्मदाबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/363/366 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–रामाश्रय 2–जयहिन्द को 22–22 वर्ष के कठोर कारावास व 65–65 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———